HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12827/2026
CNR: RJHC020765302026 | URN: CRLMB / 23608U / 2026

Naseem Ahmad S/o Harun Kha, Aged About 20 Years, R/o Khohri, Police Station Nuh, District Nuh Mewat, Haryana. (Currently In Sub Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **288/2026** अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 112(2), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसके आधिपत्य से दो मोबाइल फोन मिले हैं, जिसमें से एक में लगी हुई सिम के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर साइबर ठगी की पांच शिकायतें दर्ज थीं। उनका तर्क है कि शिकायतकर्ताओं में से किसी भी शिकायतकर्ता का कथन अन्वेषण के दौरान लेखबद्ध नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वह दिनांक 14.07.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वेषण पूर्ण होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्त वसीम

का जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध साइबर ठगी की पांच शिकायतें दर्ज हैं जो लगभग 130000/– हजार रूपये की हैं। गम्भीर अपराध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 112(2), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सहअभियुक्त वसीम को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जा चुका है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में एकान्तर माह (Alternative month) की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का

विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत नि. रस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/18/AJAY KUMAR SINGHAL